

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,
विशेष दायित्विक वाद संख्या 786/2021

राज्य

प्रति

श्रवण कुमार सिंह आदि ।

थाना हुजूरपुर, बहराइच।

आरोप

मैं, पवन कुमार शर्मा-॥, विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्तगण **श्रवण कुमार सिंह, गुड्डू सिंह व संदीप कुमार सिंह** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 21.06.2021 समय अदम तहरीर, बहद स्थान ग्राम चंदहा नकहरा अब्बोपुर, थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा कविता के पति को स्वेच्छया मारकर साधारण चोटें पहुंचायी। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा के पति के साथ कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य भा०द०सं० की धारा 336 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा के पति को जातिसूचक गालियाँ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि वे लोक शान्ति भंग कर सकता था। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा के पति को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का है, को जनदृष्टि में अवमानित करने के आशय से जाति सूचक गालियाँ देकर अपमानित किया, चोटें पहुंचाई तथा वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य धारा 3(1) (द) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

दिनांक 21-05-2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

दिनांक 21-05-2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

विशेष दायित्व वाद संख्या 786/2021

राज्य

प्रति

श्रवण कुमार सिंह आदि ।

थाना हुजूरपुर, बहराइच।

21-05-2026

मुकदमा पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्तगण **श्रवण कुमार सिंह, गुड्डू सिंह व संदीप कुमार सिंह** मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण को धारा 230 बी.एन.एस.एस. (207 द०प्र०सं०) के अनुपालन में नकले प्रदान की गयी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त मैं, इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण **श्रवण कुमार सिंह, गुड्डू सिंह व संदीप कुमार सिंह** के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 323/34, 336, 504 एवं धारा 3(1)(द) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 10.07.2026 को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र के क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।